दिनांक-20.02.2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

58 पैकेट डिस्पोजल गिलास एवं 17 बोरी पानी पाउच उड़नदस्ता की टीम ने किया जप्त , घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करने पर लगाया गया 4500 जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज छावनी एवं खुर्सीपार क्षेत्र के वार्ड 37 चन्द्रशेखर आजाद नगर तथा वार्ड 16 कुरूद क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास व कैरी बैग का विक्रय करने , बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए09,200 रूपए का अर्थदण्ड की वसूली की। उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास विक्रय करने वालों के यहां निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की! नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 16 कुरूद, वार्ड 37 चन्द्रशेखर आजाद नगर अंतर्गत किराना दुकान, बाजार, होटल आदि में प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, व्यवसाय में घरेलू गैस का उपयोग करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही कीनंदिनी फुड प्लाजा वार्ड 37 चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा व्यवसाय में घरेलू गैस उपयोग करते पाए जाने पर सिलेडर को जप्त कर 4500 रूपए जुर्माना, कलकत्ता एगरोल वार्ड 37 के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, अल कौशल होटल वार्ड 37 के पास व्यवसायिक लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, अच्छेलाल पान ठेला वार्ड 37 जीई रोड से पानी पाउच बोरी एवं डिस्पोजल गिलास जप्त करते हुए 200 रूपए एवं श्री बालाजी डेली नीड्स वार्ड 37 जीई रोड किनारे 4 बोरी पानी पाउच एवं 10 पैकेट डिस्पोजल गिलास जप्त कर 1000 रूपए, शिवम पान सेंटर एवं जनरल स्टोर्स नंदनी रोड छावनी वार्ड 25 से 48 पैकेट डिस्पोजल गिलास एवं 7 बोरी पानी पाउच जप्त किया गया। उड़नदस्ता की टीम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय न करने एवं बाजार में सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय न करने की समझाइश दी गई।

जनसम्पर्क अधिकारी